102

संख्याः– /XVII–5/17–09(31)/2014

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन
प्रमुख सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक
सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सैनिक कल्याण अनुभाग देहरादूनः दिनांकः 02 मई, 2017

विषयः–विभिन्न युद्धों व सीमान्त झड़पों तथा आन्तरिक सुरक्षा में शहीद हुए सैनिकों एवं अर्द्धसैनिक बलों की विधवाओं/आश्रितों को शहीद कोष से रू0 10.00 लाख का एकमुश्त अनुग्रह अनुदान के भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–169/XVII-3/14-09(31)/2014 दिनांक 05.03.2014 एवं शासनादेश संख्या–474/XVII-3/14-09(31)/2014 दिनांक 06.05.2014 द्वारा विभिन्न युद्धों व सीमान्त झड़पों तथा आन्तरिक सुरक्षा में शहीद हुए सैनिकों एवं अर्द्धसैनिक बलों की विधवाओं/आश्रितों को शहीद कोष से रू0 10.00 लाख की धनराशि अनुग्रह अनुदान राज्य की ओर से पूरे जीवन काल में एक बार अनुमन्य किये जाने का प्राविधान किया गया है, जिस हेतु भुगतान करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेजों को प्राप्त कर उनका सत्यापन किया जाना नितान्त आवश्यक हैः–

(क) यूनिट से प्राप्त बैटल कैजुवल्टी रिपोर्ट की छायाप्रति।
(ख) अभिलेख कार्यालय द्वारा जारी बैटल कैजुवल्टी का पार्ट–टू आर्डर की सत्यापित छायाप्रति।
(ग) अभिलेख कार्यालय से निर्गत आश्रितों का प्रमाण–पत्र।
(घ) जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा प्रार्थी को पूर्व में राज्य सरकार से अनुग्रह अनुदान (Ex-Gratia) के भुगतान न करने का प्रमाण–पत्र।
(च) इन्टेग्रेटेड हेडक्वाटर्स, रक्षा मंत्रालय (आर्मी) एम0पी0 डायरेक्टोरेट, नई दिल्ली/एकीकृत (Integrated) हेडक्वाटर्स, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली से बैटल कैजुवल्टी दर्शाने का लिखित प्रमाण–पत्र (Battle Casualty Declaration Certificate)।
(छ) फोटो पहचान–पत्र।

अतः उक्त सम्बन्ध में आपके पत्रांक–3012/अनु.अनु./सै.क.–3, दिनांक 03 अप्रैल, 2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया तदनुसार उक्त दस्तावेजों के सत्यापनोपरान्त ही विभिन्न युद्धों व सीमान्त झड़पों तथा आन्तरिक सुरक्षा में शहीद हुए सैनिकों एवं अर्द्धसैनिक बलों की विधवाओं/आश्रितों को शहीद कोष से रू0 10 लाख का एकमुश्त अनुग्रह अनुदान के भुगतान के सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव।

Latters. Sainik 2016-17 M

संख्या:— 408 /XVII —5/17—09(31)/2014 तददिनांक।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1 मुख्य निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2 प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3 प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4 महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5 मण्डलायुक्त, गढवाल एवं कुमाऊं, उत्तराखण्ड।
6 समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7 समस्त जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
8 समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9 वित्त (व्यय–नियन्त्रण) अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन।
10 राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
11 गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रदीप सिंह रावत)
अपर सचिव।

Latters. Sainik 2016-17 M